कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

05/नि॰ अंके॰ अरा॰ पदा॰ स्था॰ – 04/2016

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या–2407/2007 (अंकेक्षक) के आधार पर सहकारिता विभाग अन्तर्गत अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थी (जिनका स्थायी एवं वर्त्तमान पतों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु पत्र सम्बन्धित प्राधिकार को प्रेषित है, परन्तु सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 01.04.2003 तथा पत्र संख्या 1859 दिनांक 08.07.2006 में निहित निदेशों के अनुरूप अंकेक्षक के पद पर पे बैण्ड–1 एवं ग्रेड पे–2800/– में पूर्णतः औपबंधिक रूप से छः माह के लिए नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम–10 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है –

क्र॰	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	अनुक्रमांक	जन्मतिथि	मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	वर्ग कोटि	पदस्थापन कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	घनश्याम कुमार	उपेन्द्र प्रसाद सिंह	ग्राम+पो.–हथियावा, जिला–शेखपुरा–811105	10928245	11.06.1975	23	GEN	GEN	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, मुंगेर	
2	नीरज कुमार झा	आनन्दी झा	शिवपुरी कॉलोनी, रोड नं॰ 3 (LEFT), इशाकचक, भागलपुर–812001	12026107	30.08.1979	49	GEN	GEN	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, खगड़िया	
3	अरविन्द कुमार	नवल किशोर प्रसाद	भट्ट विगहा (अशोक नगर), कटारी हिल रोड, गया – 823001	10525115	01.12.1970	137	MBC	GEN	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, औरंगाबाद	
4	जितेन्द्र कुमार	शिव नन्दन प्रसाद	नसीबचक, पो॰–बरबिघा, जिला–शेखपुरा 811101	11523308	01.03.1979	203	MBC	GEN	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, मुंगेर	

2॰ आयोग के अनुशंसा पत्र (पत्रांक 198/आ॰, दिनांक 28.01.2016) के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी तथा आर्थिक अपराध इकाई के थाना काण्ड संख्या–23/2012 के अन्तिम फलाफल से यह प्रभावित होगा।

3॰ उक्त अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जा रही है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनकी सेवा अगले छः माह के लिए तब तक विस्तारित होती रहेगी जब तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इनका नियमितीकरण विचारणीय होगा।

4॰ यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शैक्षणिक अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर भी की जा रही है कि सत्यापन के क्रम में अनुकूल प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

5॰ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना अथवा कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।

6॰ यह नियुक्ति पदस्थापन कार्यालय में अभ्यर्थियों के योगदान की तिथि से प्रभावी होगा।

7॰ बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण हेतु बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित नियम/अधिनियमों से यह नियुक्ति प्रभावित होगा।

Node:5\E:\AKS Files\Audit Sec\New Auditor Appointment 2016\Appt. Letters 2.doc\Ashok.

8. कालान्तर में जब इनके द्वारा अंकेक्षक पद हेतु निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा तब प्रशिक्षण के पश्चात् इस विभाग में इन्हें कम–से–कम तीन वर्षों की सेवा करनी होगी। यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने के तीन वर्षों के अन्दर ये इस विभाग को छोड़ेंगे तो इन्हें अपनी प्रशिक्षण पर व्यय कुल राशि सरकार को वापस करनी होगी।

9. नियुक्त अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.76 के अनुपालन में दहेज न लेने–देने संबंधी घोषणा–पत्र एवं बिहार सेवा संहिता के नियम–52 के अन्तर्गत असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपने स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के साथ पदस्थापन कार्यालय में 30 दिनों के अन्दर अपना योगदान समर्पित करेंगे।

10. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने–जाने के लिए इन्हें कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 21.08.2005 एवं 768 पे.को., दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नव नियुक्त अंकेक्षकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

12. नियुक्ति–पत्र की अभ्यर्थी एवं पदस्थापन कार्यालय प्रधान हेतु निर्गत प्रति के साथ परिशिष्ट–1 में अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फोटो के साथ विवरण संलग्न है। उक्त फोटो युक्त नियुक्ति–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2082 दिनांक 01.04.2003 के अनुसार योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्ट्या नियुक्ति–पत्र से संतुष्ट हो जाने पर इनका योगदान तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे और इस कार्यालय से नियुक्ति–पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। तीन माह की अवधि के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है, तो सम्बन्धित नव नियुक्त अंकेक्षक के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

13. नियुक्त अंकेक्षकों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा इनकी वरीयता आयोग के अनुशंसा पत्र में उल्लेखित योग्यता क्रमांक एवं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(नरेन्द्र प्रसाद मंडल)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2283 / पटना, दिनांक 07.03.17
05/नि. अंके. अरा. पदा. स्था. – 04/2016

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राज–पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 20 (बीस) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2283 / पटना, दिनांक 07.03.17
05/नि. अंके. अरा. पदा. स्था. – 04/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/नवनियुक्त अंकेक्षक/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण सहित)/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/सभी उप–मुख्य अंकेक्षक/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक/प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक एवं सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./सभी कोषागार एवं उप–कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, सभी प्रशाखा, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

Node:5\E:\AKS Files\Audit Sec\New Auditor Appointment 2016\Appt. Letters 2.doc\Ashok.